फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामा | विपक्षी : श्री अमरा

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 72/16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	[illegible]

दिनांक : 24.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 2 फौत होने से नाम तर्क किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के तर्क सुने। वाद वर्णित आराजीयात सामलाती होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। भूमि सामलाती होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाई आ रही हैं। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया हैं। इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। भूमि सामलाती होने से वादी को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने में कठिनाई आ रही हैं। वादी मौके पर काबिज होकर हिस्से कब्जे के आधार पर बंटवाडा कराने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः भूमि सामलाती होने से भूमि का बंटवाडा किया जाना आवश्यक हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता हैं कि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी न. 1548, 1549 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1532, 1550, 1555, 1556, 1557 किता 5 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1545 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1551, 1552, 1558 किता 3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1547, 1635/1508 किता 2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जें के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, [illegible] दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों [illegible] पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर [illegible] प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। भूमि की नई नाप (हैक्टेयर) के अनुसार तैयार कर पेश करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Mahish
Date: 2021.06.22 13:36:43 IST
Reason: SelfAttested

पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 19.05.2021 को पेश हो।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

~~[illegible]~~ 19/5/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28/7/21 को पेश हो।

18/6/2021

पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र ~~पेश~~ तलबी मय विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया है। ~~[illegible]~~ वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकॉर्ड हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.06.22 13:36:43 IST
Reason: SelfAttested